

VISION IAS

www.visionias.in

P166

भारतीय राजव्यवस्था -1 सामान्य अध्ययन







VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

भारतीय संविधान एवं शासन

1. भारतीय संविधान : विशेषताएं एवं स्त्रोत

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. परिचय	3
1.1. संविधान क्या है?	3
1.2. संविधान के कार्य	3
1.3. संविधानवाद (Constitutionalism) क्या है?	3
1.3.1 भारत में संविधानवाद	4
2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं	4
2.1. लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान	4
2.2. नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय	5
2.3. लोकतांत्रिक गणराज्य	6
2.4. सरकार का संसदीय स्वरूप	6
	6
2.5. संघीय और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण	7
2.6. असममितीय संघवाद	9
2.7. मौलिक अधिकार	9
2.8. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत	
2.9. मूल कर्तव्य	10
2.10. पंथनिरपेक्ष राज्य	10
2.11. स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका	10
2.12. एकल नागरिकता	10
2.13. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार	10
2.14. आपातकालीन शक्तियां	11
2.15. शक्तियों का पृथक्करण	11
2.16. स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था	12
3. भारतीय संविधान के स्रोत	12

Plus Pramesh eLib

1. परिचय

1.1. संविधान क्या है?

- संविधान विशिष्ट कानूनी वैधता वाला एक विधिक दस्तावेज़ है। इसमें राज्य के मूलभूत संस्थानों की स्थापना का ढांचा (framework) निहित होता है। यह विभिन्न संस्थानों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। इसके साथ ही यह विभिन्न संस्थानों की संरचना, संघटन, अधिकार क्षेत्र एवं उनके प्रमुख जनादेश को भी निर्धारित करता है।
- वस्तुतः यह विभिन्न संस्थानों के मध्य अन्तर्सम्बन्धों को परिभाषित करता है तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों और राज्य के मध्य संबंधों का संचालन करता है। संक्षेप में यह किसी राष्ट्र की नियम पुस्तिका है जो उस समाज और उसके कानूनों को नियंत्रित करती है।
- संविधान, राज्य के शासकीय निकायों द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों को भी दर्शाता है। चूंकि भारत एक लोकतंत्र है, अत: इसका संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से मूलभूत सामाजिक-राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

1.2. संविधान के कार्य

संविधान (लिखित या अलिखित) की महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्ता होती है। इसके अनेक प्रकार्य होते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- विचारधारा की अभिव्यक्ति: यह किसी राष्ट-राज्य के दर्शन एवं विचारधारा को दर्शाता है।
- मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति: संविधान मूलभूत कानूनों को प्रदर्शित करता है। इन कानूनों को एक प्रक्रिया के माध्यम से सामान्यतया संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। कुछ विशेष कानून भी होते है, जो नागरिकों के अधिकारों पर केंद्रित होते हैं; उदाहरणस्वरुप अभिव्यक्ति, धर्म, सम्मेलन, प्रेस आदि की स्वतंत्रता से सम्बंधित अधिकार।
- संगठनात्मक ढांचा: यह सरकार के लिए एक संगठनात्मक ढांचा प्रदान करता है। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों, उनके अन्तर्सम्बन्धों, उनके अधिकारों पर प्रतिबंधों आदि को परिभाषित करता है।
- सरकार के स्तर: संविधान सामान्यत: सरकार के विभिन्न घटकों के स्तरों को प्रदर्शित करता हैं। आम तौर पर यह संविधान द्वारा निरुपित किया जाता है कि वह संघीय है, परिसंघीय है या एकात्मक है। यह राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को भी निरुपित करता है। भारत में तो यह स्थानीय सरकार की शक्तियों को भी निरुपित करता है।

उदाहरण:

सोवियत संविधान में मुख्यतः विचारधारा की अभिव्यक्ति थी। उसमें संगठनात्मक ढांचे की अभिव्यक्ति कम थी। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान, तत्कालीन सरकार के दर्शन की अभिव्यक्ति की तुलना में सरकारी संगठन एवं शासन पद्धति अभिव्यक्ति अधिक है।

1.3. संविधानवाद (Constitutionalism) क्या है?

सर्वप्रथम हमें **संविधान** और **संविधानवाद** के मध्य अंतर समझने की आवश्यकता है।

 राज्य सत्ता में निहित बाध्यकारी शक्ति का शासकों द्वारा मनमाने ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। संविधान का निर्माण राज्य सत्ता के विरुद्ध एक सुरक्षा तंत्र के रूप में किया जाता है। इस व्यवस्था को जो लिखित (सामान्यत:) या अलिखित संविधान के माध्यम से सरकारों या शासकों को क्षेत्राधिकार के भीतर रहने के लिए बाध्य करती है, उसे संविधानवाद कहा जाता है।





 संविधानवाद का तात्पर्य है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग, सीमाओं, निर्बंधनों, नियंत्रण और नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। संविधानवाद की अवधारणा में शक्ति के निरंकुश एवं अधिनायकवादी प्रयोग के विरुद्ध 'सीमित सरकार' और 'विधि के शासन' के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है।



के.सी.व्हेयर एवं डब्ल्यू जी एंड्रयूज के अनुसार संविधानवाद का अर्थ है:

- शक्तियों का विभाजन, न की शक्तियों का केन्द्रीकरण
- समाज में बहमत हितों की स्वीकृति
- अधिनायकवादी या तानाशाही नेतृत्व की अनुपस्थिति
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंधों का आरोपण

कार्ल जे फ्रेडिरिक के अनुसार, शिक्तियों का विभाजन संविधानवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। संविधानवाद राजशाही या गणराज्य, अभिजात्य वर्गीय राज्य या लोकतंत्र में विद्यमान हो सकता है यदि वहाँ शक्तियों का विभाजन व्याप्त है।

1.3.1 भारत में संविधानवाद

संविधानवाद भारतीय संविधान में भी विद्यमान है। निम्नलिखित विशेषताएं इसका साक्ष्य है:

- लिखित संविधान
- संसदीय लोकतंत्र
- विधि का शासन
- मूल अधिकार
- शक्तियों का पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन
- लचीला संविधान तथा अपरिवर्तनीय आधारभूत ढांचा
- सरकार का संघीय स्वरुप
- स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा

2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

संविधान की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने वाले लक्षण या विशेष बातें होती हैं।
भारतीय संविधान इन्हीं विशिष्ट लक्षणों के माध्यम से विभिन्न वैचारिक नियम और मूल्यों के मध्य
समन्वय स्थापित करता है। ये सब विशिष्ट लक्षण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक मूल्यों
से प्रेरित रहे हैं, जो भारतीय संविधान की सफलता को आगे बढाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे
हैं।

2.1. लिखित एवं सबसे विस्तृत अविधान

भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसके साथ ही साथ यह विश्व के सभी देशों के संविधान की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां सिम्मिलित थी, जिनमें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कई परिवर्तन किये गए हैं। अप्रैल 2017 तक इसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियों और 5 परिशिष्टों सहित 448 अनुच्छेद हैं। 1950 में अधिनियमित होने के पश्चात् संविधान संशोधन हेतु 123 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये गए हैं तथा 101 संविधान संशोधन कानून पारित किये गए हैं।



हालांकि अनुच्छेद 395, संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, परन्तु अप्रैल 2017 तक अनुच्छेदों की कुल संख्या 448 है। संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए अनुच्छेद, मूल संविधान में सम्बंधित भाग में सम्मिलित कर दिए गए हैं। अनुच्छेदों के मूल क्रम को उलट-पुलट नहीं करने के उद्देश्य से नए अनुच्छेद अल्फान्यूमेरिक सूची के अनुसार सम्मिलित किये गए हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A, 86 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था।



संविधान के विस्तृत होने के पीछे विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं:

- सबसे प्रमुख कारकों में से एक यह है कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न स्रोतों और विश्व के बहुत से अन्य संविधानों से कई उपबंध ग्रहण किये थे। जैसे संविधान निर्माताओं ने प्रशासनिक विवरण से संबंधित विषयों पर प्रावधान निर्माण हेतु भारत सरकार अधिनियम,1935 का अनुसरण किया गया तथा उसकी कई विशेषताओं को बनाए रखा गया।
- दूसरा, भारत से सम्बंधित विशिष्ट मुद्दों के लिए प्रावधान निर्मित करना आवश्यक था, जैसे
 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों हेतु विभिन्न प्रावधानों का होना।
- तीसरा, केंद्र-राज्य संबंधों में उनके प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय संबंधों तथा अन्य गतिविधियों
 के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।
- चौथा, चूंकि भारतीय राज्यों के लिए पृथक संविधान नहीं है, अतः राज्य प्रशासन से सम्बंधित प्रावधान भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किये गए हैं।
- पाँचवां,स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से सम्बन्धित प्रावधान भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किये गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, संविधान को आम नागरिकों के लिए सुस्पष्ट बनाने हेतु व्यक्तिगत अधिकारों,
 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की एक विस्तृत सूची एवं प्रशासकीय प्रक्रिया की जानकारी संविधान में समाविष्ट की गयी है।

2.2. नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय

- भारतीय संविधान विशुद्ध रूप से न तो कठीर या अनम्य है और न ही नम्य या लचीला है। इसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्द्र्य है। संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि कुछ प्रावधानों में संशोधन तभी किया जा सकता है, जब इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है।
- साथ ही कुछ अन्य ऐसे प्रावधान भी हैं जो उपरोक्त विधि द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं परन्तु उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष अनुमित हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान संशोधन विधेयक लाने की शक्ति

केवल संसद में निहित है, राज्य विधानसभाओं में नहीं।

संविधान सभा में पंडित नेहरू के शब्द: "यद्यपि हम संविधान को इतना दृढ़ और स्थायी बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है। संविधान में कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप कुछ भी कठोर और स्थायी बनाते हैं, तो आप राष्ट्र के विकास, जीवन के विकास... आदि को रोक देते हैं। िकसी भी स्थिति में, हम इस संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते थे कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसका पालन नहीं किया जा सके। जब विश्व में अशांति है और हम अत्यंत तीव्र संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, तब हम जो आज करते है संभवतः वह भविष्य में पूर्णतया लागू नहीं हो सकता है।"



2.3. लोकतांत्रिक गणराज्य

- भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं को प्रशासित करते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च अधिकारी है, एक निश्चित समयाविध के लिए चुना जाता है।
- हालांकि भारत एक संप्रभु गणराज्य है, फिर भी इसकी राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) की सदस्यता जारी है, जिसकी प्रमुख ब्रिटिश सम्राज्ञी हैं। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता एक संप्रभु गणराज्य के रूप में उसकी स्थिति से समझौता नहीं करती है क्योंकि राष्ट्रमंडल, मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रों की एक संस्था है। ब्रिटिश सम्राज्ञी इस संस्था की मात्र प्रतीकात्मक प्रमुख हैं।

2.4. सरकार का संसदीय स्वरूप

- भारत ने ब्रिटेन द्वारा अपनाई गयी वेस्टिमेंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। यह सरकार की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। इस प्रणाली में कार्यकारिणी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सत्ता में केवल तब तक बनी रहती है जब तक इसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है।
- भारत का राष्ट्रपित नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से ही किया जाता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सदन में विश्वास खो देती है तो यह इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है।
- राष्ट्रपति जो नाममात्र का कार्यकारी होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात् वास्तविक कार्यकारिणी की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यों में भी सरकार संसदीय प्रकृति की होती है।

2.4.1. संसदीय संप्रभुता एवं भारतीय संसद की स्थिति

• संसदीय संप्रभुता को संसदीय सर्वोच्चता या विधायी सर्वोच्चता के रूप में भी जाना जाता है। यह संसद को सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाती है, जो किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है या नया कानून बना सकती है। तात्पर्य यह है कि संसद ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती है जिसे भविष्य में स्वयं ससंद द्वारा संशोधित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका कानून को ख़ारिज नहीं कर सकती है अर्थात् संसद द्वारा पारित किसी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है।



निम्नलिखित सिद्धांत संसदीय संप्रभुता के विपरीत है:

- संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत
- शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत (यह अधिकांशत: सामान्य कानून बनाने के लिए विधायिका के कार्य क्षेत्र को सीमित करता है)
- न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत (विधायिका द्वारा पारित कानूनों को कुछ निश्चित परिस्थितियों में अमान्य घोषित किया जा सकता है)

संसदीय संप्रभुता, ब्रिटिश संविधान का सिद्धांत है। यह ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

क्या भारतीय संसद संप्रभु है?

- भारतीय संसद की संप्रभु स्थिति ब्रिटेन के समान निरपेक्ष या निरकुंश नहीं है, क्योंकि यह संविधान के उपबंधों के अधीन है। संविधान ही भारतीय संसद को अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। इसकी कुछ पूर्व-निर्धारित सीमायें है, जो निम्नलिखित है:
 - संसद केवल उन विषयों के संबंध में कानून बना सकती हैं जो या तो संघ सूची में अथवा समवर्ती सूची में निर्दिष्ट हैं।
 - संसद द्वारा बनाए गए कानून, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अधीन होते हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि संसद द्वारा निर्मित कोई कानून, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विरुद्ध है,तो उसे सम्बंधित न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है।
- निष्कर्ष: इस प्रकार, ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के विपरीत भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है।

2.5. संघीय और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार: 'भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ' होगा। हालांकि संविधान में कही भी 'संघीय' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तथापि भारत एक संघीय गणतंत्र है। कोई राज्य संघीय होता है, यदि:

- सरकार दो स्तरों में विभक्त होती है तथा दोनों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है;
- लिखित संविधान होता है, जो देश का सर्वोच्च कीनून होता है; तथा
- संविधान की व्याख्या और केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान होता है।

भारतीय संविधान में संघात्मकता के लक्षण निम्नलिखित हैं:

- उपरोक्त सभी संघात्मक विशेषताएं भारतीय संविधान में निहित हैं। सरकार के दो स्तर विद्यमान हैं, एक केंद्र स्तर पर एवं दूसरा राज्य स्तर पर। इन दोनों के मध्य शक्तियों के वितरण का विस्तृत विवरण हमारे संविधान में किया गया है (73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के पश्चात शक्तियों को स्थानीय स्तर तक विकेंद्रीकृत किया गया है)।
- भारत का संविधान लिखित है एवं संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है।
- एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर, उच्चतम न्यायालय भी विद्यमान है, जो कार्यपालिका
 और विधायिका के नियंत्रण से स्वतंत्र है।





भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण निम्नलिखित हैं:

- संघीय राज्य की इन सभी आवश्यक विशेषताओं के बावजूद, भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक प्रवृत्तियां भी विद्यमान हैं। अन्य संघ जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता का प्रावधान करती हैं जबिक भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
- सम्पूर्ण देश के लिए एक ही एकीकृत न्यायपालिका है।
- अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के प्रावधान, एक अन्य एकात्मक विशेषता प्रदर्शित करते हैं। इन सेवाओं के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। चूंकि ये सेवायें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं, अत: कुछ हद तक ये राज्यों की स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न करती हैं।
- भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषता आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार और अधिक शक्तिशाली हो जाती है तथा संघीय संसद को राज्यों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है
 और केंद्र सरकार के हितों की रक्षा करने के निमित्त होता है। उपरोक्त प्रावधान, हमारे संघ की एकात्मक प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं।

निष्कर्ष:

- प्रोफेसर के.सी. व्हेयर के अनुसार, भारतीय संविधान, "सरकार की एक अर्द्ध संघीय प्रणाली है एवं अतिरिक्त एकात्मक विशेषताओं के साथ एक एकात्मक राज्य" का प्रावधान करता है।
- संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि संघवाद और एकात्मकता के मध्य सामंजस्य विद्यमान है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "संविधान में अपनायी गयी राजनीतिक प्रणाली, समय एवं परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक के साथ ही संघीय हो सकती है"। यह कहा जा सकता है कि भारत में केंद्रीय मार्गदर्शन एवं राज्य अनुपालन के साथ एक सहकारी संघवाद विद्यमान है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तविक संघीय संविधान अपनाने वाला पहला देश था। इसकी संघीय संरचना अभी भी संदर्भ के रूप में यह निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है कि कोई संविधान संघीय है या नहीं।
- भारतीय संविधान का निर्माण जिन परिस्थितियों में किया गया था वे 1787 में निर्मित अमेरिकी
 संविधान की परिस्थितियों से बिलकुल भिन्न थी। आजादी के समय भारत दुखद विभाजन तथा देश
 के कोने-कोने में विद्यमान विभाजित अवृत्तियों का साक्षी था। इसलिए राज्य को एक इकाई के रूप
 में बनाए रखने तथा अंत में अपने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बनाये रखने के लिए एक
 मजबूत केंद्र का निर्माण करना तात्कालिक आवश्यकता थी।
- हालांकि संविधान में कुछ केंद्रीय प्रवृत्तियां पायी जाती हैं, परन्तु भारतीय राज्यों में भी शक्ति और स्वायत्तता का एक उचित स्तर निहित है। भारतीय विधि आयोग के अनुसार, एक मजबूत संघ और मजबूत राज्यों के मध्य कोई विरोधाभास नहीं होता है।
- उपरोक्त विचार-विमर्श को संभवतः प्रोफेसर अलेक्सेंडरोंविज़ (Alexanderowicz) के शब्दों में सर्वश्रेष्ठ रूप से संक्षेपित किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि "भारत एक संघ है परन्तु एक सुई जेनेरिस (sui generis) संघ है, अर्थात् अपने ही प्रकार का संघ या एक अद्वितीय संघ है।"



2.6. असममितीय संघवाद

(Asymmetric federalism)

भारत के संविधान में कछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं। जम्म-कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं। साथ ही भारतीय संविधान के सभी उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र एवं गुजरात (अनुच्छेद 371), नागालैंड (अनुच्छेद 371-A), असम (अनुच्छेद 371-B), मणिपुर (अनुच्छेद 371-C), आन्ध्र प्रदेश (अनुच्छेद 371-D एवं 371-E), सिक्किम (अनुच्छेद 371-F), मिजोरम (अनुच्छेद 371-G),अरुणाचल प्रदेश (अनुच्छेद 371-H) और गोवा (अनुच्छेद 371-I) के लिए भी विशेष उपबन्ध विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक समस्याओं और मांगो के कारण बनाये गए हैं। इन सब विशेषताओं के कारण ही भारतीय संघवाद को असममितीय संघवाद के नाम से जाना जाता है |

2.7. मौलिक अधिकार

- भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा यह पृष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ आधारभूत अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग III में की गयी है इन्हें मूल अधिकारों के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से संविधान में सात मूल अधिकारों की श्रेणियां थीं, परन्तु अब यह संख्या छह रह गयी है। ये हैं: (i) समानता का अधिकार, (ii) स्वतंत्रता का अधिकार, (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, (v) सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31), मुलतः, एक मूल अधिकार था, जिसे 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में यह केवल एक कानूनी अधिकार है।
- मुल अधिकार राज्य के नकारात्मक दायित्वों के रूप में वर्णित हैं और ये राज्य की सत्ता के विरुद्ध सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं।
- मुल अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों में से किसी एक का भी अतिक्रमण होता है तो कोई भी व्यक्ति उच्चत्तर न्यायपलिका, अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। हालांकि, भारत में मूल अधिकार असीमित नहीं हैं। राज्य और समाज की सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

2.8. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

- संविधान की एक अनुठी विशेषता इसमें सम्मिलित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत सरकार के लिए निर्देशात्मक प्रकृति के हैं, जिन्हें सरकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए लाग कर सकती है।
- इसमें सम्मिलित महत्वपूर्ण सिद्धांत जीविका के लिए पर्याप्त साधन, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन, लोकहित के लिए धन का वितरण, नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, काम का अधिकार, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान आदि हैं।
- इन सिद्धांतों में से अधिकांश भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं। हालांकि ये न्यायोचित नहीं हैं, फिर भी इन सिद्धांतों को "देश के शासन के लिए आधारभूत" कहा गया है।

